International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925, Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 01(I), January- March, 2025, pp. 43-49

# महिला सशक्तिकरण और राजस्थान

श्री सत्यनारायण खींची*

***सार***

*हमारे देश की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब आधी हैं। लेकिन अगर हम आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक, राजनैतिक और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी आधे से भी बहुत कम है जो महिलाओं के जन्म से पहले से ही जीवन के विभिन्न मोर्चों पर उनके साथ होने वाले भेदभाव का परिणाम है अतः महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की तत्काल आवश्यकता हैं। पुरूष और महिला समाज व देश के निर्माण के पूरक तत्व है। किसी भी राष्ट्र के विकास का सीधा संबंध उस राष्ट्र की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता हैं। महिलाओं के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए समान अवसर प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को इस हद तक सशक्त बनाना है कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली, करियर आदि सहित अपने जीवन के चुनौतियों का स्वतन्त्र रूप सामना कर सके। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समाज की सभी महिलाओं पुरूषों के बराबर अधिकार, स्थिति और शक्ति प्राप्त हो सके। पुरे विश्व में 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार विभिन्न योजनाएँ चला रही है जैसे – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना इत्यादि।*

***शब्दकोशः*** *महिला, सशक्तिकरण, शिक्षा, समाज।*

---

**प्रस्तावना**

सशक्तिकरण की आवश्यकता कमजोर वर्ग की होती है न कि शक्तिशाली वर्ग को आज के वर्तमान युग में महिला सशक्तिकरण चर्चा का विषय बना हुआ है अर्थात इस वर्ग (महिला) को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। भारत के धार्मिक ग्रन्थों में लिखा है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'' अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते है। नारी को शक्ति की अवतार मानने वाले जगत जननी मानने वाले भारत देश को देश में फैले अंधविश्वास एवं कुरूतियों की वजह से वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हो रही है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक,

* सहआचार्य (ई.ए.एफ.एम.), राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक, राजस्थान।

आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना हैं। महिलाएँ देश की अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जब उस देश की महिलाओं को पुरूषों के साथ प्रगति का समान भागीदार माना जायेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का शैक्षिक विकास अनिवार्य है। शिक्षा के बिना महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात् स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व है। इस सृजन की शक्ति को आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, राजनैतिक स्वतन्त्रता एवं अवसर दिये बगैर विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आधुनिक युग में एक तरफ कई महिलाएं सम्मानित पदों पर (राजनैतिक तौर से) कार्यरत हैं, स्वतंत्र हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को हर छोटे–बड़े फैसले के लिए पुरूषों की इजाजत लेनी होती है। उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा जैसे मौलिक सुविधाओं के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। 2011 की जनगणना शिक्षा के मामले में पुरूषों की साक्षरता दर 82.14है, जबकि महिलाओं में इसका प्रतिशत केवल 65.46ही है। भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील हैं। आँकड़ों के अनुसार, भारत के शहरों में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30: महिलाएं कार्यरत हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90: महिलाएं कृषि और इससे जुड़े कार्यों में कार्यरत हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भारत में महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा 20: कम भुगतान किया जाता है। भारत सरकार ने साल 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं शिक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। महिलाओ के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे है। महिलाओं को समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और राजनीति में योगदान देने के लिए अनुपातिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

भारत में महिलाओं को कानूनन आज सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन आज भी इस पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। राजनैतिक क्षेत्र में भी इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक पुरूषों का वर्चस्व रहा है। मार्च 2024 के अनुसारलोकसभा में कुछ 542 सांसदों में से केवल 78 महिला सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में केवल 24 सांसद हैं। आर्थिक क्षेत्रों में भी नारी निरंतर संघर्षमयी है। एक लंबे समय से भारतीय पुरूष एवं महिला क्रिकेट टीम में दिये जाने वाले वार्षिक फीस में भेदभाव था जो अब 2022 में जाकर दूर हुआ है। फिल्म उद्योगों में पुरूष सितारों की फीस की तुलना में महिलाओं की फीस कम है। फिल्म निर्देशन, उद्यमिता एवं कॉर्पोरेट जैसे जगहों पर इक्का–दुक्का उदाहरण छोड़ केवल पुरूषों का ही वर्चस्व है।

**भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए पारित किये गये अधिनियम**

- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, (1961)
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1987
- लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट, 1994
- बाल विवाह रोकथाम एक्ट, 2006
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट, 2013

**भारत में महिला सशक्तिकरण के फायदें एवं लाभ**

- महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज और कैरियर के क्षेत्र में समान अवसर मिलते हैं।
- महिलाओं को समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके वास्तविक अधिकार मिलते हैं।
- महिलाओं में आत्म सम्मान की भावना का विकास होता हैं।
- महिलाओं को अपने जीवन को नियमित एवं नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है।
- महिलाओं को राष्ट्र के विकास में भागीदार बनाया जाता है।

## भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली रूकावटें एवं बाधाएँ

- **समाजिक मापदंड :–** पुरानी एवं रूढ़िवादी विचारों के कारण महिला को शिक्षा, खेल और रोजगार के लिए घर छोड़ने की आजादी नहीं मिलती जिस कारण से वो अपने आप को पुरूषों से कम आँकने लगती हैं।
- **आर्थिक व शैक्षिक मापदंड :–** महिलाओं को उनके शिक्षा, आय–व्यय, संपत्ति एवं अन्य आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की आजादी नहीं होती।
- **कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण :–** निजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न में लगभग 170ः का इजाफा देखने को मिला है।
- **अपराध :–** महिलाओं के विरूद्ध दहेज उत्पीड़न, ऑनर किलिंग, तस्करी जैसे गंभीर अपराध भी देखने को मिलते हैं। इस कारण शहरी महिलाएं रात को सार्वजनिक एवं निजी परिवहन का उपयोग करने से कतराती हैं। महिला सशक्तिकरण सही मायने में तभी संभव होगा जब महिलाएं भी पुरूषों की तरह बिना भय के स्वच्छंद रूप से कहीं भी आ जा सकेंगी।
- **बाल विवाह :–** वर्ष 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट अनुसार भारत में लगभग प्रति वर्ष 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है। फलस्वरूप, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से वयस्क नहीं हो पाती । हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इस कुरीति में काफी कमी आई है।
- **कन्या भ्रूण हत्या :–** लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा है। भ्रूण के लिंग का पता चलते ही माँ की इच्छा के विपरीत उसका गर्भपात करवा दिया जाता है, जिस कारण हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री एवं पुरूष के लिंग अनुपात में काफी अंतर आ गया है।

## अध्ययन का उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण की केन्द्र एवं राजस्थान राज्य की योजनाओं का अध्ययन करना।
- महिला सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानना।
- **अनुसंधान क्रियाविधि :–** इस शोध का अध्ययन मूल रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें उपयोग किया गया डेटा इस शोध की आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्त्रोतो लेख, राष्ट्रीय स्तर की पत्र–पत्रिकाओं से लिया गया हैं।

## राजस्थान सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएँ

- कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण स्कूटी योजना
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना – मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजस्थान सरकार की योजना है जिसके तहत जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए बालिकाओं को 30,000/– रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। प्रारम्भ 01 जून 2016 से।
- इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2024–प्रारम्भ तिथि 10 अगस्त 2024। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना और उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
- इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना–यह राजस्थान सरकार की एक योजना हैं। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वह अपना कारोबार शुरू कर सके। इस

योजना के तहत महिला उद्योग शुरू करने के लिए लोन ले सकती हैं। योजना के तहत् व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता समुह को 50 लाख रूपये तक और समूहों के कलस्टर या फेडरेशन को 01 करोड़ तक की लोन सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ उद्योग सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम वगैरह सभी क्षेत्रों में मिलता है।

- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना–राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है इस योजना का उद्देश्य लड़कियों और उनके परिवारों को शादी के लिए वित्तीय सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस योजना में पात्र परिवारों को 40,000/– रूपये की सहायता राशि दी जाती है। इसमें गहने, कपड़े और शादी से जुड़े दूसरे खर्च शामिल है।
- गार्गी पुरूस्कार योजना–वर्ष 2022 के अनुसार 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 75ः या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमशः 3000 व 5000 रूपये की प्रोत्साहन दिया जाता है।
- इंदिरा प्रियदर्शनी योजना–इस योजना में 10 एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 08 संवर्गों(सामान्य, अजा., अजजा., अन्य.पिव., अल्पसंख्यक, बी.पी.एल., निःशक्त वर्ग) की छात्राओं को देय हैं। 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा की छात्राओं क्रमशः 75000 रू व 1,00,000 रू तथा स्कूटी दी जाती है।
- अन्य विभिन्न योजनाएँ जैसे–
  - राजस्थान महिला निधि
  - महिला हैल्पलाइन 181
  - अमृता हाट
  - पालनहार योजना
  - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
  - महिला बस किराया छूट योजना
  - देवनारायण छात्रा साईकिल योजना
  - इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना।

किसी भी समाज के विकास और उत्थान के लिए उस समाज का सीधा सम्बन्ध उसी समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना आदि की शुरूआत की है।

**भारत सरकार की महिलाओं के लिए प्रमुख योजनाएँ**

- **बेटी बचाओ, बेटी पढाओः–** यह योजना महिलाओं के प्रति गिरते बाल लिंग अनुपात के संरक्षण और अस्तित्व को सुनिश्चित करके महिलाओं के विकास और उत्थान से संबंधित है और साथ ही यह योजना बालिकाओं के जन्म पर जश्न मनाने और उन पर गर्व करने पर केन्द्रित है। इस योजना की शुरूआत हरियाणा के पानीपत शहर में 22 जनवरी 2015 को हुई थी और जब इस योजना के लिए प्रारंभिक अनुदान 100 करोड़ रूपए दिए गए थे। इस योजना का मूल उद्देश्य लड़कियों के लिए जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना हैं। यह योजना बालिका के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना हैं। यह योजना गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए हैं।

- **वन स्टॉप सेंटर योजनाः–** भारतीय समाज में महिलाएँ शोषण, अत्याचार और हिंसा से जूझ रही हैं। यह हिंसा किसी भी रूप में हो सकती है – शारीरिक, यौन, मानसिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक शोषण आदि। इस प्रकार की हिंसा के लिए उचित समय पर उचित कार्यवाही करना अति आवश्यक है। इसी कारण महिलाओं के उत्थान के अनुरूप, वन स्टॉप सेंटर योजना अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। यह 18 साल से कम उम्र की प्रभावित लड़कियों को तत्काल प्रतिक्रिया, आपातकालीन सहायता, चिकित्सा सहायता और कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए है। मूल उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनो जगहों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना हैं। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श समर्थन सहित कई सेवाओं की तत्काल आपातकालीन और गैर–लाभकारी पहुंच की सुविधा के लिए है।
- **महिला हेल्पलाइन योजनाः–** यह योजना 01 अप्रेल 2015 से शुरू हुई थी, यह महिला हेल्पलाइन 1091 योजना उन महिलाओं के उत्थान के लिए एक पहल है, जिन्हें हिंसा का सामना करने वाली तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में हिंसा का सामना करने वाली किसी भी महिला या लड़की को 24 घंटे टोल फ्री टेलीफोनिक सहायता प्रदान करता है। यह सरकार और सरकारी एजेंसियों द्वारा हेल्पलाइन निकटतम अस्पताल, एम्बुलेंस सुविधा, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन विभाग और अन्य का हवाला देकर गंभीर स्थितियों में हस्तक्षेप करते हैं। मूल उद्देश्य समर्थन और सूचना मांगने वाली हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल–फ्री 24 घंटे की दूरसंचार सेवा प्रदान करना। पुलिस/अस्पतालों/एम्बुलेंस सेवाओं/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA)/संरक्षण अधिकारी (PO) जैसी उपयुक्त एजेंसियों के लिए रेफरल के माध्यम से संकट और गैर–संकट हस्तक्षेप में मदद करने के लिए है। हिंसा से प्रभावित महिला को उपलब्ध उचित सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए है।
- **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः–** यह योजना मार्च 2016 में शुरू हुई थी। इस योजना द्वारा गरीबी रेखा से महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। कमजोर वर्ग के पक्ष में एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए सामाजिक अभियान और संपन्न वर्ग से अपील करने के कारण इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। साथ इस योजना द्वारा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार के पास एलपीजी कनेक्शन है, इस योजना द्वारा दो तरह से लाभ प्राप्त होंगें, जिसमें यह न केवल महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, उन्हें धुएं और धूल से दूर रखेगा, और इन लोगों द्वारा आग के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर–नवीकरणीय संसाधनों को भी बचाएगा। उन्हें केवल आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक आवेदन करना होगा। मूल उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना। खाना पकाने के खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अशुद्ध ईंधन के परिणामस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना। श्वसन संबंधी मुद्दों को नियंत्रित करना जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने के परिणामस्वरूप इनडोर प्रदूषण के कारण होता है जो सफाई से जलता नहीं है।
- **मातृत्व लाभ कार्यक्रमः–** यह योजना भारत में गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लाभ और सरकारी प्रायोजित सुविधाओं का उचित देखभाल, अभ्यास और कुशल उपयोग प्रदान करने की इच्छा के लिए है। इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के रूप में जानी जाती थी, बढ़ती मातृ मृत्यू दर का मुकाबला करने के लिए 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया। यह 19 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण प्रस्तुत करता है जो अपने पहले दो जीवित बच्चों के लिए उम्मीद या स्तनपान कर रहें हैं। इस अवधि के दौरान यह अतिरिक्त रूप से वेतन हानि को कवर करता है। अपनी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को होने वाले

नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करना और अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए माताओं को 6000 रूपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान करना, अब तक 4.8 मिलियन लाभार्थियों तक पहुँच चुका है। मूल उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उपयुक्त अभ्यास, देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना है। महिलाओं को पहले छः महीनों के लिए प्रारंभिक और विशेष स्तनपान सहित पोषण (दूध पिलाने) और पोषण प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल के लिए दो किस्तों में 6000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP):–** एसटीईपी योजना के द्वारा महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और महिलाओं को स्वरोजगार/उद्यमी बनने के लिए सक्षमता और कौशल प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को लाभान्वित करना है जो देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में हैं। योजना के तहत अनुदान किसी संस्था/संगठन को दिया जाता है, जिसमें गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं, न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को। एसटीईपी योजना के तहत सहायता रोजगार और उद्यमिता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए है। किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध होगी, जिसमें कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरी आदि, हस्तशिल्प, कंप्यूटर और आईटी सक्षम तक शामिल नहीं हैं। काम की जगह के लिए सॉफ्ट स्किल्स और स्किल्स के साथ–साथ सेवाएं जैसे कि अंग्रेजी, रत्न और आभूषण, यात्रा और पर्यटन, आतिथ्य है। इस योजना की शुरूआत 1986–87 में एक केन्द्रीय योजना के रूप में की गयी थी। मूल उद्देश्य योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वे स्व–रोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों/महिलाओं का कौशल विकास करना है। इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था/संगठन यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है।
- **सुकन्या समृद्धि योजनाः–** इस योजना की शुरूआत जनवरी 2015 हुई थी जिसके तहत सरकार न केवल अधिक से अधिक लड़कियों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, बल्कि उन्हें बेहतर और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए भी दृढ़ प्रयास कर रही है। यह योजना परिवारों को उनकी बेटियों की शिक्षा और शादी के खर्च के लिए आर्थिक रूप से मदद करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस बचत योजना के अनुसार, माता–पिता या अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में न्यूनतम राशि के साथ एक विशेष खाता खोल सकते हैं। 1000 प्रति वर्ष। खाता खोलने की तारीख से किसी भी मूल्य के कई जमा 14 साल तक हर साल किए जा सकते हैं। 21 वर्षों के बाद जमा परिपक्व हो जाएगा। किए गए जमा को आयकर की धारा 80 सी के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। इसके अलावा अर्जित ब्याज, वर्तमान में 8.4:प्रति वर्ष, कर मुक्त भी है। मूल उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बचत योजना में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे अपने दीर्घकालिक जीवन के लक्ष्यों और सपनों जैसे उच्च शिक्षा, विवाह आदि को पूरा कर सकें और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकें।

## निष्कर्ष

यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका आशय यह नहीं है कि पितृसत्तात्मक समाज को मातृसत्तात्मक समाज में बदल दिया जाए। भारत में पूर्वोत्तर की खासी व कुछ अन्य जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज की अवधारणा देखने को मिलती है जहां नारी की प्रधानता है। विश्व की कुछ जनजातियों जैसे कि चीन की मोसुओ, कोस्टा रिका की ब्रिब्रि जनजाति, न्यू

गुयाना की नागोविसी जनजाति मातृसत्तात्मक है। यहां महिलाएं ही शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था व सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े निर्णय लेती हैं। भारत में सहारनपुर की अतिया साबरी (तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई), वर्षा जबलगेकर (तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई) एवं पाकिस्तान में मलाला युसुफज़ाई जैसी नारियों का योगदान काबिले तारीफ है। इसके अलावा भारत में अवनी लेखारा(स्वर्ण पदक पैरालिंपिक), पी. वी. सिंधु (स्वर्ण पदक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप), अरूणिमा सिंहा (प्रथम महिला अपंग जिन्होंने माउन्ट एवरेस्ट की चढ़ाई की), गीता गोपानाथ, अवनी चतुर्वेदी, अरूणा रेड्डी, इंदु मल्होत्रा का योगदान भारत के स्वर्णिम भविष्य में चार चांद लगा रहा है। यदि समाज को स्वस्थ रूप से विकसित करना है तो समाज स्त्री प्रधान या पुरूष प्रधान होने के बजाय इनसे निरपेक्ष हो तो एक बेहतर सामाजिक सरंचना तैयार होगी और सही मायने में स्त्री व पुरूष समान रूप से सशक्त होंगे। स्त्री के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1. राजस्थान सुजस, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर (मार्च 2020 से दिसम्बर 2024)
2. डॉ. राकेश कुमार आर्य, महिला सशक्तिकरण और भारत, डायमंड बुक्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
3. भारत में महिला सशक्तिकरणः एक मिथक या यथार्थ, नीतू चौधरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, टोंक, Social Research Foundation
4. विकिपीडिया
5. रश्मि सिंह, महिला सशक्तिकरण – आवश्यकता क्यों घ्ए नूतन क्षितिज पन्द्रहवा संस्करण।
6. राजस्थान राज्य महिला आयोग, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2022, 2023
7. भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में परिर्वतन (एक समाजशास्त्रीय अध्ययन) मधु, रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय, भरतपुर, राज.।
8. के.एम.सीमा, राजस्थान में महिला प्रस्थिति, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ अपराईड रिसर्च, 2017
9. भारत में महिला सशक्तिकरण एवं योजनाएंः एक अध्ययन डॉ. शीतल शर्मा, सहायक आचार्य, गृह विज्ञान, सितारा डिग्री कॉलेज, रामपुर।
10. राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण एक परिदृश्य, राजमोहन सोनी, डॉ. आर के दुलार (जनरल ऑफ मोर्डन मेनेजमेंट एण्ड इंटरप्रेन्योरशिप)
11. Tech news hindi, samanya gyan online GK, drishti
12. मार्च 2020 से दिसम्बर 2024 तक विभिन्न समाचार पत्रों जैसे इकॉनोमिक्स टाईम्स, टाईम्स ऑफ इण्डिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, प्रभा साक्षी, अमर उजाला, इत्यादि में प्रकाशित पर्यटन से सम्बन्धित विशेष लेख, टिप्पणीयों एवं सम्पादकीय से एकत्रित की गई सामग्री।
13. मार्च 2020 से दिसम्बर 2024 तक प्रसारित विभिन्न न्यूज चौनलों जैसे एनडीटीवी, बीबीसी, आज तक में प्रसारित न्यूज।
14. महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।


❖◆❖